न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0आर0 वाद सं0–03/2016–17
(पी0ए0 अपील)
रूबेन किस्कू
बनाम
सुशीला सोरेन वगैरह

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह रिविजन वाद रिविजनकर्त्ता रूबेन किस्कू, पिता–स्व0 बुरहान किस्कू, सा0–गोपालनगर, थाना– महेशपुरा, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0 वाद सं0–12/2014–15 में दिनांक 04.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध 1. सुशील सोरेन, पिता–स्व0 पाउल किस्कू, सा0–गोपालनगर, थाना–महेशपुर, जिला–पाकुड़ 2. 16 आना रैयत, मौजा–गोपालनगर एवं 3. अंचल अधिकारी, महेशपुर को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि महेशपुर अंचल अन्तर्गत मौजा– गोपालनगर के ग्राम प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु इस वाद के विपक्षी सं0–01 सुशीला सोरेन एवं रिविजनकर्त्ता रूबेन किस्कू के द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। विपक्षी सं0–01 के द्वारा पूर्व नियुक्त ग्राम प्रधान की पत्नी के आधार पर तथा रिविजनकर्त्ता द्वारा पूर्व नियुक्त ग्राम प्रधान के भाई होने के आधार पर अपना दावा किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2016 को पारित आदेश वंशानुगत आधार पर विपक्षी सं0–01 को उक्त मौजा का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। यह रिविजन वाद इसी आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्ष विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया। रिविजनकर्त्ता का कहना है कि मौजा–गोपालनगर एक प्रधानी मौजा है तथा उक्त मौजा के अन्तिम नियुक्त प्रधान पाउल किस्कू थे जिनकी मृत्यु 06.06.2014 को हो गई। रिविजनकर्त्ता उक्त पाउल किस्कू के भाई है। ग्राम प्रधान को संबंधित मौजा का रैयत होना चाहिए। SPT Act 1949 के Sec. 4(XIII) के अनुसार विपक्षी सं0–01 उक्त मौजा की रैयत नहीं है। संथाल कस्टमरी लॉ के अनुसार महिला को सम्पत्ति का अधिकार नहीं होता है तथा इस आधार पर विपक्षी सं0–01 पूर्व प्रधान की उत्तराधिकारी नहीं है। उत्तराधिकारी में केवल पुत्र अथवा घरजमाई पुत्री हो सकती है।

निम्न न्यायालय द्वारा गलत तरीके से विपक्षी सं0–01 को पूर्व प्रधान का

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की क्रम संख्या और तारीख
1	2	3

उत्तराधिकारी मानते हुए वंशानुगत आधार पर SPT Act 1949 की धारा 6 के तहत ग्राम प्रधान पद पर नियुक्त कर दिया गया।

उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी सं0–01 का कहना है कि मौजा–गोपालनगर एक प्रधानी मौजा है तथा उक्त मौजा के अन्तिम नियुक्त ग्राम प्रधान उनके पति पाउल किस्कू थे। पाउल किस्कू की मृत्यु के बाद उनके द्वारा वंशानुगत आधार पर अपना दावा किया गया तथा निम्न न्यायालय द्वारा दावे को सही पाते हुए उनकी नियुक्ति ग्राम प्रधान के पद पर की गई। SPT Act 1949 में महिला के ग्राम प्रधान पद पर नियुक्ति में कोई रोक नहीं है तथा वे पूर्व प्रधान की पत्नी के रूप में वैध उत्तराधिकारी है।

उनके द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सही बताते हुए इसे बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि मौजा–गोपालनगर एक प्रधानी मौजा है तथा उक्त मौजा के पूर्व नियुक्त ग्राम प्रधान पाउल किस्कू थे। निम्न न्यायालय में उपलब्ध अंचल अधिकारी, महेशपुर के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि रिविजनकर्त्ता अन्तिम नियुक्त प्रधान के भाई है जबकि विपक्षी सं0–01 पूर्व अन्तिम प्रधान की पत्नी है। इस मामले में विचारण का एक मात्र बिन्दु यह है कि क्या पत्नी को वंशानुगत (hereditary) आधार पर उत्तराधिकारी माना जा सकता है अथवा नही। SPT Rule 1950 के सेड्यूल V के अनुसार – " The office of headman being hereditary, the next heir, who is fitted, should be headman. If the heir be a minor, he may be appointed headman with a sarbrakhar to manage for him until he attains his majority . If no suitable Sarbrakhar can be found, the right of the minor lapses."

Smt. Devimai Murmu Vs State of Jharkhand and others, 2009(4)JCR 699(Jhr): 2010(2)JLJR 542 में पारित न्याय निर्णय निम्नवत है –

" In view of the fact that the office of the headman is hereditary and the next heir ought to be appointed as a headman, if may be either son or the daughter."

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

" Daughter may become entitled to become as headman only if she is a gharjamai daughter, meaning thereby that she must have married to a person by performing gharjamai form to marriage and her hasband must be living at her in-laws place by serving of his relationship with his own family."

उक्त से यह स्पष्ट है कि प्रधानी मौजा में ग्राम प्रधान का पद hereditary होता है तथा पुत्र अथवा घरजमाई पुत्री ग्राम प्रधान पद पर वंशानुगत आधार पर नियुक्त हो सकती है। पत्नी Blood line की उत्तराधिकारी नहीं होती है तथा वंशानुगत आधार पर उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत मामले में विपक्षी सं0–01 अन्तिम नियुक्त ग्राम प्रधान पाउल किस्कू के वंश के अन्तर्गत नहीं आती है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर रिविजन आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set aside) किया जाता है। साथ ही यह वाद इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि SPT Act 1949 एव Rules 1950 में वर्णित प्रावधानों तथा Thakur Hembrom Vs State of Bihar, 1980 BLJR 448:1980 BLJ 212 (DB) में पारित न्याय निर्णय का अक्षरशः पालन करते हुए कर साठ दिनों के अन्दर प्रश्नगत मौजा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

19/12/22
उपायुक्त,
पाकुड़।

19/12/22
उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.02 18:04:12 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:248a:21af:3557:aac0

Scanned with CamScanner